न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ, जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश कुमार राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—89 / 2019

जी.सी.एम.एस नं.—2019 / 00209

1. गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक सिंह पुत्री मुख्तयार सिंह जाति जटसिख निवासी चक—10 बी.एल.एम (ए) तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. कुलवन्त कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्री मुख्तयार सिंह जाति जटसिख निवासी चक—15 ए.पी.डी तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

——— प्रार्थीगण

बनाम्

1. मुख्तयार सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक—15 ए.पी.डी तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. सर्वजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह उर्फ बिट्टू जाति जटसिख निवासी चक—17 पी (ढ़ाणी) तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)
3. बेअंत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक—56 जी.बी (ए) तहसील अनूपगढ़ (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)
5. उप पंजीयक अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ (राज.)

————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील उपस्थित

1. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट —प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री जुल्फिकार खां एडवोकेट —अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

दिनांकः—23.12.2024

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील अनूपगढ के यह कि वाके चक—56 जी.बी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—23 पत्थर नं.—226 / 461 व किला नम्बर 1 ता 12 व 13 / 1 में कुल 3.087 हैक्टर नहरी एवं मुरब्बा नं.—24 पत्थर नं.—226 / 462 का किला नम्बर 4 ता 6, 9 / 2, 10 [illegible] कुल 3.038 हैक्टर नहरी इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 6.125 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 मुख्तयारसिंह के नाम 109 / 6125 हिस्सा यानि 0.109 हैक्टर भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त 0.109 हैक्टर भूमि को आयन्दा इस प्रकरण में विवादित भूमि कहा जायेगा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.—2 सगी बहने हैं तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.—2 का अप्रार्थी सं.—1 पिता है। प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर पुत्री सिंगारा सिंह पत्नी मुख्तयार सिंह का देहान्त अर्सा पूर्व हो चुका है। प्रार्थीगण की माता गुरमीतकौर के देहान्त के पश्चात विवादित भूमि का जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

विरास्तन इन्तकाल नम्बर 274 दिनांक 19.05.2015 के अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज हुई यह कि वाके चक–56 जी.बी. (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–23, 24 का कुल 9.238 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाना सिंगारा सिंह पुत्र बूटा सिंह का 1/3 हिस्सा रकबा था जो प्रार्थीगण के नाना सिंगारा सिंह के देहान्त के उपरांत प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर और मृतक सिंगारा सिंह के अन्य वारिसान को विरास्तन जगीन्द्र कौर बेवा सिंगारा सिंह, गुरदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, दिलबाग सिंह, सुखदेव सिंह, सर्वजीत कौर, कश्मीर कौर को विरास्तन प्राप्त हुई जो विरास्तन इन्तकाल संख्या 19 दिनाक–15/05/1994 को स्वीकृत हुआ। फोटो प्रति विरास्तन इन्तकाल संख्या 19 दिनाक–15/05/1994 सलंग्न है। प्रार्थीगण के नाना सिंगारा सिंह से विरास्तन प्राप्त उक्त वर्णित रकबा में प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर पुत्री सिंगारा सिंह पत्नी मुख्तयार सिंह का विवादित भूमि सहित कुल 0.438 हैक्टर रकबा है। प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर के देहान्त के उपरांत उक्त रकबा 0.438 हैक्टर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 को विरास्तन प्राप्त हुआ है जो प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर के जीवनकाल में माता गुरमीत कौर के कब्जा काश्त में रहा तथा माता गुरमीत कौर के देहान्त के उपरांत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 के संयुक्त कब्जा काश्त में हिस्सानुसार आ गया है तथा विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण की माता के देहान्त के उपरान्त प्रार्थीगण एंवम अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त कब्जा काश्त मे आज रोज तक लगातार चली आ रही है एव मौका पर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 2 की सरसों की फसल काश्त है। प्रार्थीगण यहां यह भी उल्लेख करती है कि उक्त वर्णित 0.438 हैक्टर रकबा में से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 ने अपने नाम दर्ज 0.329 हैक्टर रकबा का विक्रय जरिये वैयनामा के दलजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह को कर दिया है प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर के देहान्त के उपरांत प्रार्थीगण की माता के नाम की उक्त 0.438 हैक्टर कृषि भूमि का अप्रार्थी सं.–1 ने एकपक्षीय तौर पर विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में गुप–चुप तरीके से प्रार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बिना राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर विरास्तन इन्तकाल संख्या 274 दिनांक–19.05.2015 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 मुख्तयार सिंह एवं अप्रार्थी सं.–2 सर्वजीत कौर के नाम से बहिस्सा बराबर स्वीकृत करवाया है जबकि प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर को उनके पिता से प्राप्त सम्पत्ति विवादित कृषि भूमि चक वाके चक–56 जी.बी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–23 पत्थर सं.–226/461 मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–226/462 का 109/6125 यानि 0.109 हैक्टर रकबा विरासत में प्राप्त करने का अप्रार्थी सं.–1 कतई कानूनन अधिकारी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(2) की उपधारा क के अनुसार कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो वह मृतक नारी के पुत्र या पुत्री को न्यायगत होगी तथा पुत्र या पुत्री के अभाव में मृतक नारी के पिता के वारिसों को न्यायगत होगी [illegible] हिन्दू नारी को माता पिता से विरासत में प्राप्त सम्पत्ति को पति विरास्त में प्रा[illegible]। विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता मुख्तयार सिंह का कोई विरासती हक [illegible] इसलिये विवादित कृषि भूमि का अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज उक्त इन्तकाल संख्या 274 दिनाक 19.05.2015 एवंम ईन्तकाल के आधार पर उक्त रकबा की जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम का अंकन दोनों आरम्भ से ही शुन्य, अवैध एंव प्रभावहीन, विधि विरूद्ध, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 के हकों पर बेअसर व प्रभावहीन है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार विवादित कृषि भूमि में प्राप्त नहीं होते है। चूंकि उक्त वर्णित रकबा 0.438 हैक्टर प्रार्थीगण की माता गुरमीत कौर को अपने पिता

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

सिंगारा सिंह से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा उक्त 0.438 हैक्टर माता गुरमीत कौर की सम्पत्ति की वारिस केवल तीन पुत्रियों प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 है और उक्त वर्णित रकबा 0.438 हैक्टर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 को विरासत में प्राप्त हुई है एंव प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 2 का विरास्तन हक व अधिकार है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 से कई बार आग्रह किया कि वह प्रार्थीगण के हक व अधिकार की विवादित कृषि भूमि का अंकन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से करवा देवे ताकि किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं हो तो अप्रार्थी सं.–1 हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर निरन्तर टामलटोल करता रहा और प्रार्थीगण अपने पिता पर विश्वास करती रही अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने दिंनाक 09.12.2019 को प्रार्थीगण के पास आये और कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में गुपचुप तरीके से विवादित भूमि का वैयनामा दिनांक–08.11.2019 करवा दिया है और बैयनामा दिंनाक–08.11. 2019 के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी है जो प्रकियाधीन है चुपचाप जमीन खाली करदो जिस पर प्रार्थीगण हैरान रह गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को कहा कि हमारे हक व अधिकार से वचिंत करने के बेईमानीपूर्ण आशय से आपने मिलीभगत करके गलत, नुमाईशी व विधि विरुद्ध तरीके से बिना हक व अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी सख्या 3 के पक्ष में विवादित भूमि का वैयनामा (विक्रय विलेख) दिनांक–08.11.2019 करवाया है जिसे आप प्रभावशुन्य घोषित करवाये तथा विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से अंकन करवाये तो अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने ऐसा करने से स्पस्ट इंकार कर दिया और धमकी दी कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करेगें तथा इस समस्त जमीन को अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बेचान करेंगे अप्रार्थी सख्या 1 विवादित कृषि भूमि में से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 को उसके हक व अधिकार से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से विवादित कृषि भूमि का विक्रय विलेख नुमाईशी तौर पर गुपचुप तरीके से दिनांक–08.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित कृषि भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में करवाने का कोई अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में करवाया गया विक्रय विलेख दिंनाक–08. 11.2019 आरम्भ से ही शुन्य, अवैध एंव प्रभावहीन, विधि विरुद्ध है जिससे अप्रार्थी संख्या 3 को कोई हक व अधिकार विवादित कृषि भूमि में प्राप्त नही होते है अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रार्थीगण विवादित भूमि से वंचित व बेदखल करने एवं भूमि अन्यत्र रहन, बैय, अन्तरण करने के अपने अवैध आशय में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी और प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। जिसका मुल्याकंन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता। प्रार्थीगण का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पति सम्बन्धी अधिकारो व हितों की रक्षा करे तथा अपनी सम्पति का उपयोग व उपभोग करे। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफिसला मू[illegible]ाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है यह कि इसके उपरांत उसी [illegible] दिनांक [illegible] 12.2019 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–5 से सम्पर्क कर उसे उक्त समस्त तथ्[illegible] बात से अवगत करवा कर वादाधीन कृषि भूमि अन्तरण, [illegible] पंजीकृत नहीं करने का आग्रह किया तो अप्रार्थी सं.–5 उप पंजीयक [illegible] कि अदालत के आदेश/स्थगन के बिना वह दस्तावेज पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र है तथा अप्रार्थी सं.–5 उप पंजीयक ने किसी प्रकार का सहयोग करने से प्रार्थीगण को इंकार कर दिया अप्रार्थी सं.–4 को लैण्ड होल्डर होने के कारण तथा अप्रार्थी सं.–2 का वादाधीन भूमि मे हित होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

के मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वे वादाधीन कृषि भूमि चक–56 जी.बी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–23 पत्थर सं.–226/461 मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–226/462 का 109/6125 यानि 0.109 हैक्टर कमाण्ड भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करने या करवाने व विवादित भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय, हस्तान्तरित, खुर्द बुर्द करने या करवाने से निषेध रहे और अप्रार्थी सं.–5 वादाधीन भूमि अन्यत्र हस्तान्तण, रहन, बैय आदि का दस्तावेज पंजीकृत करने से निषिद्ध रहे और विवादित भूमि पर रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ता 3 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं–2 का प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि पर सयुक्त रूप से काब्जा काश्त होना अस्वीकार है। यह तथ्य प्रार्थीगण ने झुठे, बेबुनियाद व निराधार दर्ज किए है ताकि प्रार्थना–पत्र को बल मिल सके। एक तरफ तो विरास्तन नामातंरण सं.–274 दिनांक–19.05.2019 स्वीकार करते हऐ तीनो ने अपना हिस्सा 0.329 हैक्टर रकबा जरिए बैयनामा दलजीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह को बेचान किया है, दुसरी तरफ अब मन मे बेईमानी वा लालच आ जाने के कारण पिता का हिस्सा हड़प करने बाबत गलत तथ्यो के आधार पर नियम विरूद्ध वा मियाद बाहर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने आज तक विरास्तन नामातंरण सं. –274/19.05.2019 की कोई अपील भी नही की है। इससे स्पष्ट है कि उन्हे नामातंरण स्वीकार था। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्ती योग्य है क्योकि प्रार्थीगण ने सभी तथ्य झूठे, बेबुनियाद वा निराधार दर्ज किए है। प्रार्थीगण की माता गुरमीतकौर के देहांत के बाद नियमानुसार वा विधिवत् रूप से विरास्तन नामातंरण सं.–274/19.05.2019 दर्ज हुआ है जिसमे चक–56 जी.बी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–23 वा 24 में मुझ अप्रार्थी को 0.109 हैक्टर कृषि भूमि मेरी पत्नी के देहांत के बाद विरास्तन मुझे हिस्सा प्राप्त हुआ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत में अप्रार्थी मेरी मृतक पत्नी गुरमीतकौर का जायज वा कानूनी वारिस हूँ वा इसी मुताबिक मुझे कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त हुआ है वा मृतक पत्नी गुरमीतकौर के नाम की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मे केवल तीनो पुत्रीयों हकदार नहीं है बल्कि मैं अप्रार्थी भी कानूनी रूप से हिस्सेदार वा हकदार हूँ वा इसी आधार पर मेरे नाम भी बाद जांच पड़ताल नामातंरण दर्ज हुआ है वा मेरे हिस्सा पर मेरा कब्जा काश्त रहा है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण ने इस मद में सभी तथ्य झूठे, बेबुनियाद वा निराधार दर्ज किए है ताकि प्रार्थना मियाद में लाया जा सके वा प्रार्थना–पत्र की नोईयत पुरी की जा सके। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण ने इस मद में सभी [illegible] बेबुनियाद वा निराधार दर्ज किऐ है ताकि प्रार्थना पत्र की [illegible] अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के पास आना, वैयनामा दिनांक–08.11.2019 वा ना[illegible] का कहना, जमीन खाली का कहना आदि आदि सभी तथ्य झूठे दर्ज किए है। बैयनामा दिनांक–08.11.2019 को प्रभावशुन्य घोषित करवाने का कहना वा इकार है वा अन्यत्र वैय आदि सभी तथ्य प्रार्थीगण ने झूठे वा निराधार दर्ज किए है ताकि प्रार्थना कारण बनाया जा सके। वास्तविक्ता मे उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि अप्रार्थी सं–1 को बाद हकः हकुक अप्रार्थी सं–1 को प्राप्त थे। इस आधार पर अप्रार्थी सं–1 ने यह कृषि भूमि अप्रार्थी सं–3 को जरिए बैयनामा दिनांक–08.11.2019 का बेचान कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

है वा प्रतिफल प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं.–3 ने उक्त कृषि भूमि बतौर एक सद्भाविक खरीददार खरीद की है वा प्रतिफल अदा किया है। इस आधार पर अप्रार्थी सं.–3 ही वास्तविक रूप से उक्त भूमि का मालिक है वा मौका पर कब्जा काश्त है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण ने इस मद में सभी तथ्य झूठे, बेबुनियाद वा निराधार दर्ज किऐ है। वास्तविक्ता मे कोई कार्य गुपचुप तरीके से नहीं किया गया है ना ही प्रार्थीगण के कोई हकः वा अधिकार प्रभावित हुऐ है। अप्रार्थी सं–1 ने अपने हकः वा अधिकार के तहत ही अप्रार्थी सं.–3 को बैयनामा दिनांक–08.11.2019 तहरीर कर पंजीकृत करवाया है वा प्रतिफल प्राप्त किया है। बैयनामा दिनांक–08.11.2019 विधिवत् रूप से सही वा मान्य दस्तावेज है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण ने इस मद में सभी तथ्य झूठे, बेबुनियाद वा निराधार दर्ज किए है क्योंकि वास्तविक्ता में मौका पर आज रोज भी अप्रार्थी सं.–3 का ही शाति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। हम अप्रार्थीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन, बैय करने का कोई विचार नहीं है। जब उक्त जमीन पर प्रार्थीगण का कोई हकः अधिकार ही नहीं है, ना ही कोई कब्जा काश्त है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है। केवल मात्र प्रार्थना पत्र की नोईयत पुरी करने वा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का आधार बनाने हेतु इस मद में झुठे तथ्य दर्ज किऐ है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं.–4, 5, 6 को प्रार्थना–पत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाने हेतु वा नोईयत पुरी करने हेतु सभी तथ्य झूठे, मनगढंत वा निराधार दर्ज किऐ है प्रार्थना को आवश्यक प्रकृति का बनाने हेतु धारा–80 (2) सी. पी.सी का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व धारा–80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना कानून प्रावधान है। जिसकी पालना प्रार्थीगण ने नहीं की गई है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है प्रार्थीगण वा अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 सगे पिता पुत्रींया है। अप्रार्थीगण सं.–1 की पत्नी वा प्रार्थीगण की माता मृतका गुरमीतकौर की मृत्यु उपरांत जरिए नामातंरण सं.–274/19.05.2015 को विरास्तन 0.109 हैक्टर कृषि भूमि हिस्सा अप्रार्थी सं.–1 को प्राप्त हुआ था इसके अलावा प्रार्थीगण वा अप्रार्थी सं.–2 तीनो पुत्रीयो ने अपना हिस्सा 0.329 हैक्टर कृषि भूमि जरिए बैयनामा दलजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह को बेचान कर दिया था। अब दोबारा फिर प्रार्थीगण (पुत्रीयों) के मन में बेईमानी आ गई वा पिता के हिस्सा को भी हड़पना चाहती है। इस कारण झूठे, बेबुनियाद, निराधार वा विधि विरूद्ध जाकर यह प्रार्थना साजिशाना तौर पर पेश किया है ताकि पिता का हिस्सा हड़प किया जा सके। उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी सं–1 ने अप्रार्थी सं–3 को जरिए पंजीकृत वैयनामा दिनांक–08.11.2019 को बेचान कर दिया वा प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। अब उक्त जमीन पर खरीददार अप्रार्थी सं.–3 का ही खरीद के रोज से [illegible] काश्त चला आ रहा है वा रिकार्ड/पानी, मामला की [illegible] सिंह के नाम से है। प्रार्थीगण एक तरफ तो विरास्तन नामातंरण सं.–274/[illegible]2015 को स्वीकार करके तीनो ने अपना हिस्सा बेचान कर दिया है दूसरी तरफ पिता का हिस्सा हड़पने बाबत साजिशाना तौर पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो [illegible] निरस्ती के है। प्रार्थीगण को विरास्तन नामातंरण सं.–274/15.05.2019 से ही इल्म था जो प्रार्थीगण स्वीकार करते है वा लेकिन फिर भी मियाद बाहर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निरस्ती योग्य है अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। [illegible] यालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक–23.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार राव
सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़